DELHI BUILDING & OTHER CONSTRUCTION WORKERS WELFARE BOARD,
LABOUR DEPARTMENT, GOVT. OF NCT OF DELHI
'A' WING, 7TH FLOOR, VIKAS BHAWAN-II, CIVIL LINES, DELHI–110054
Email id :bocwhq.delhi@gov.in Phone : 011-23813846, 23813773

F No. 562 Dated:- 25/03/2022

To,

Dy. Secretary (Questions & Committee)
Delhi Legislative Assembly Secretariat
Govt. of NCT of Delhi
Old Secretariat, Delhi-110054.

Sub: - Unstarred Question No. 191 due for 29.03.2022.

Sir,

Please find enclosed herewith 100 Copies duly certified by the Competent Authority of Unstarred Question No. 191 due for 29.03.2022 for further necessary action at your end.

This issue with the approval of the Competent Authority.

Yours Faithfully

(Pawan Kumar)
Dy. Secretary (HQ)

<u>उत्तर देने के लिये निर्धारित प्रपत्र</u>

विभाग का नाम :– श्रम विभाग, दिल्ली सरकार

विभाग का पता :– 5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली-110054

अतारांकित प्रश्न संख्या :–191

दिनांक :–29/03/2022

प्रश्नकर्ता का नाम :– श्री विजेंद्र गुप्ता

क्या माननीय उप मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

प्रश्न	उत्तर
क) दिल्ली सरकार के दिल्ली भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के लिए कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं ;	श्रम विभाग, दिल्ली सरकार के दिल्ली भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएँ चलायी जा रही हैं :– 1. प्रसूति लाभ (नियम 271)– मातृत्व लाभ 30,000/– रू॰ (केवल दो बच्चों तक) 2. **गर्भपात के लिए वित्तीय सहायता** (नियम 271 (क) – रू॰ 3,000/– (पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)। 3. **पेंशन** (नियम 273) – 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन रू॰ 3,000/– प्रति माह एवं रू॰ 300/–की वृद्धि हर वर्ष (पात्रता – एक वर्ष की सदस्यता)। 4. **मकान खरीदने या बनाने के लिए अग्रिम** (नियम 274) – रू॰ 3,00,000/– तक की राशि का ऋण (पात्रता – दस वर्ष की सदस्यता शेष रहने पर)। रू॰ 5,00,000/–तक की राशि का ऋण (पात्रता – पद्रंह वर्ष की सदस्यता शेष रहने पर)। 5. **अक्षमता पेंशन** (नियम 275)– रू॰ 3,000/– प्रति माह (पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)। 6. **अपंग** (नियम 275) हो जाने पर रू॰ 1,00,000/– तक की अनुग्रह राशि (पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)। 7. **निर्माण संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए ऋण** (नियम 276)– रू॰ 20,000/– (पात्रता – एक वर्ष की सदस्यता)। 8. **निर्माण संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान** (नियम 276 (क))– (5 वर्ष में एक बार) रू॰ 5,000/– (पात्रता – तीन वर्ष की सदस्यता)। 9. **श्रमिक की मृत्यु पर अन्त्योष्टि के लिए वित्तीय सहायता** (नियम 277) रू॰ 10,000/–(पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)।

10. **मृत्यु लाभ का भुगतान** (नियम 278)–

श्रमिक की प्राकृतिक मृत्यु होने पर नामांकित / आश्रितों को रू॰ 1,00,000/–का मुआवजा/अनुग्रह राशि (पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)।

श्रमिक की कार्य के दौरान मृत्यु होने पर नामांकित/आश्रित सदस्य को मृत्यु मुआवजा/ अनुग्रह राशि रू॰ 2,00,000/– (पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)।

11. **लाभार्थियों के लिए चिकित्सा सहायता** (नियम 280)–

चिकित्सा सहायता अधिकतम रू॰ 2,000/– तक की राशि पहले दिन से पांच दिन तक एवं रू॰ 200/– अतिरिक्त दिन के लिए दुर्घटना एवं पालस्ट्र के लिए रू॰ 10,000/– तक की राशि (पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)।

12. **शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता** (पात्रता – (i) से (iii) पंजीकरण की तिथि से एवं (iv) से तक एक वर्ष से अधिक की सदस्यता)।

(i)कक्षा – 1 से 8 तक रू॰ 500/– प्रति माह ।

(ii)कक्षा – 9 से 10 तक रू॰ 700/– प्रति माह।

(iii)कक्षा – 11 से 12 तक रू॰ 1000/– प्रति माह ।

(iv)स्नातक स्तर रू॰ 3,000/– प्रति माह

(v)आई.टी.आई. पाठयक्रम रू॰ 4,000/– प्रति माह ।

(vi)एल.एल.बी. (पाँच वर्ष) पाठयक्रम रू॰ 4000/– रू॰ प्रति माह

(vii)पालिटैकनिक डिपलोमा पाठयक्रम रू॰ 5000/–प्रतिमाह

(viii)एल. एल.बी. (तीन वर्ष) पाठयक्रम रू॰ 3000/– रू॰ प्रति माह

(ix)इंजीनियिरंग, मेडिसन, एम.बी.ए. जैसे तकनीकी पाठयक्रम के लिए रू॰ 10,000/– प्रति माह

(ix)दूरस्थ शिक्षा/ओपन लर्निंग स्कूल/ कालेज/प्राइवेट अध्ययन और मान्यता प्राप्त स्कूल/ कालेज/ संस्थान से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संदर्भ में – नियमित अध्ययन के लिए स्वीकृत अनुदान का 75 प्रतिशत। यह वित्तीय सहायता किसी भी स्नातक स्तरीय पाठयक्रम के लिए केवल एकबारगी दी जाएगी।

13. **विवाह के लिए वित्तीय सहायता** (नियम 282)–

स्वयं एवं बच्चों विवाह (केवल दो बच्चों तक) के लिए वित्तीय सहायता – (पात्रता – तीन वर्ष की सदस्यता):–

क)पंजीकृत महिला सदस्य के विवाह पर

	– रूपये 51,000/– ख)पंजीकृत पुरूष सदस्य के विवाह पर – रूपये 35,000/– ग)पंजीकृत सदस्य की पुत्री के विवाह पर – रूपये 51,000/– घ)पंजीकृत सदस्य की पुत्र के विवाह पर – रूपये 35,000/– (नियम 282) 14 **पारिवारिक पेंशन** –पेंशनधारक द्वारा प्राप्त की जा रही राशि का 50 प्रतिशत अथवा रू० 1,000/–, इनमें से जो अधिक हो। (पात्रता – एक वर्ष की सदस्यता)।
ख) इन सभी योजनाओं के अंतर्गत लाभ पाने के लिए पिछले पाँच वर्षों में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;	श्रम विभाग, दिल्ली सरकार के दिल्ली भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की सभी योजनाओं के अंतर्गत लाभ पाने के लिए पिछले पाँच वर्षों में कुल 1,00,045 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
ग)कितने आवेदनो का निपटारा किया गया और प्रत्येक योजना में कुल कितने लाभार्थी लाभान्वित हुए;	पिछले पाँच वर्षों में कुल **95,744** आवेदनो का निपटारा किया गया। योजनावार लाभार्थियों की संख्या - 1. मृत्यु एवं अन्त्येष्टि लाभ - 1138 2. पेंशन - 484 3. शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता - 90033 4. प्रसूति लाभ - 2417 5. विवाह के लिए वित्तीय सहायता - 1060 6. स्वस्थ्य लाभ + आरटी पीसीआर - 195 7. निर्माण संबंधी उपकरणो की खरीद के लिए अनुदान - 03
घ) किस किस जिले में कितने कितने आवेदन अभी तक लंबित हैं;	जिलावर लंबित आवेदनो का विवरण:- 1 पूर्व - 58 2 उत्तर पूर्व - 74 3 उत्तर - 75 4 उत्तर पश्चिम - 589 5 पश्चिम - 247 6 दक्षिण पश्चिम - 293 7 दक्षिण - 316 8 नई दिल्ली - 0 9 केंद्र - 3 **कुल 1655** ज्ञातव्य हो कि 1655 में से 1475 आवेदन विवाह के लिए वित्तीय सहायता से संबद्ध है, तथा इस विषय में नियमों में संशोधन प्रक्रियाधीन है।
ड़) इन सभी का जिलानुसार विवरण दें ?	उपरोक्त अनुसार

हस्ताक्षर
(संजीव आहूजा)
विभागाध्यक्ष

SANJEEV AHUJA
Commissioner (Labour)